रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092025-265853
CG-DL-E-01092025-265853

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3861] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947
No. 3861] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2025

सं. 28/2025–26

विषयः विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.03(क) (i) (छ) में संशोधन, अग्रिम प्राधिकार–पत्र धारकों, ईओयू और एसईजेड द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अधीन निविष्टि के आयात के सक्षम प्रावधानों का निर्धारण।

का.आ. 3966(अ).—समय–समय पर यथा संषोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.03(क) (i) (छ) में अग्रिम प्राधिकार–पत्र से संबंधित निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे अधिसूचना संख्या 71/2023 दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करती है।

मौजूदा पैरा 2.03(क) (i) (छ)	संशोधित पैरा 2.03(क) (i) (छ)
ऐसे प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व अवधि प्रक्रिया पुस्तिक के पैरा 4.40 के अनुसार होगी।	ऐसे प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व अवधि प्रक्रिया पुस्तिक के पैरा 4.40 के अनुसार होगी।

तथापि, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) द्वारा अधिसूचित रासायनिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में छूट के संबंध में आयात खेपों की निकासी की तारीख से निर्यात दायित्व अवधि 180 दिनों तक प्रतिबंधित है।	

इस अधिसूचना का प्रभाव:

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) द्वारा अग्रिम प्राधिकार पत्र के अंतर्गत अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अधीन आने वाले उत्पादों के आयात के लिए निर्यात दायित्व अवधि को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दिया गया है। अब से, सभी अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों के लिए निर्यात दायित्व अवधि प्रक्रिया पुस्तिक के पैरा 4.40 के अनुसार होगी।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/13/एएम–15/पीसी–2[क]/ई–5910]

अजय भादू, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2025

No. 28/2025-26

Subject: Amendment in Para 2.03(A) (i) (g) of the Foreign Trade Policy, 2023 laying down enabling provisions for import of inputs, that are subjected to mandatory Quality Control Orders (QCOs), by Advance Authorisation holders, EOU and SEZ.

S.O. 3966(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.03 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, the Central Government hereby makes the following amendments relating to Advance Authorisation in Para 2.03(A) (i) (g) of FTP, 2023, notified vide Notification No. 71/2023 dated 11.03.2024 as amended from time to time , with immediate effect:

Existing Para 2.03(A) (i) (g)	Revised Para 2.03(A) (i) (g)
The Export Obligation period for such authorizations shall be as per Para 4.40 of Handbook of Procedures. However, EO period is restricted to 180 days from the date of clearance of import consignments in respect of QCO exemption for chemical products, notified by the Department of Chemicals & Petrochemicals (DCPC).	The Export Obligation period for such authorizations shall be as per Para 4.40 of Handbook of Procedures.

Effect of this Notification:

The Export Obligation Period against the import of the products that are subjected to mandatory QCOs by the Department of Chemicals & Petrochemicals (DCPC), under Advance Authorisation has been extended from existing 06 months to 18 months. Henceforth, EO period for all AA holders shall be as per Para 4.40 of Handbook of Procedures.

This issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/13/AM-15/PC-2[A]/E-5910]

AJAY BHADOO, Dir. General of Foreign Trade Addl. Secy .

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.01 11:41:44 +05'30'